प्रस्तावना को कैसे अपनाया गया

लेखक - प्रदीप कौशल (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (राजव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

30 दिसम्बर, 2019

"संविधान, विशेष रूप से इसकी प्रस्तावना,अक्सर नागरिकता संशोधन अधिनियम पर चल रही बहस के केंद्र में रही है। इस आलेख में हम जानेंगे कि संविधान सभा में इसे कैसे पेश किया गया, इस पर कैसे चर्चा हुई और इसे कैसे अपनाया गया।"

नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में कई लोगों द्वारा यह कहा जा रहा है कि यह अधिनियम भारतीय संविधान के खिलाफ है। वर्तमान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में कई बार प्रस्तावना को पढ़ा गया है,जो भारत के संविधान के सार को दर्शाती है।

1949 में संविधान सभा द्वारा अपनाई गई मूल प्रस्तावना ने भारत को एक 'संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य' घोषित किया। आपातकाल के दौरान बनाए गए 1976 के 42वें संशोधन द्वारा, 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द डाले गए, प्रस्तावना में अब 'संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य' शब्द शामिल हो गए।

संकल्प और चर्चा

प्रस्तावना 13 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य-संकल्प पर आधारित है। यह संकल्प 22 जनवरी, 1947 को अपनाया गया था।

संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने सदस्यों से कहा: "अब समय आ गया है जब आपको इस संकल्प पर अपना वोट देना चाहिए।" जिसके बाद सभी ने इस संकल्प को अपनाने के लिए अपना मत दिया और फिर से इसे अपना लिया गया।

17 अक्टूबर, 1949 को संविधान सभा ने प्रस्तावना को चर्चा के लिए रखा।

हसरत मोहानी ने प्रस्ताव रखा कि भारत को 'एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य' के रूप में नामित किए जाने के बजाय, 'भारतीय समाजवादी गणराज्यों का एक संघ, जिसे यूएसएसआर की तर्ज पर यूआईएसआर कहा जाना चाहिए' बनाया जाए। देशबंधु गुप्ता द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई, जिन्होंने कहा कि 'यह आदेश से बाहर है क्योंकि यह हमारे द्वारा पारित संविधान के विपरीत है।' मोहानी ने उत्तर

संविधान की प्रस्तावना

परिचय

- प्रस्तावना संविधान के लिए एक परिचय के रूप में कार्य करती है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था जिसमें तीन नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था।
- संविधान की प्रस्तावना का निर्माण भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य करने के लिए किया गया। इसे उद्देशिका भी कहा जाता है।
- यह भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाई चारे को बढ़ावा देती है।
- **प्रस्तावना:**- हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :
- न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक,
- विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
- प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा,
- उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए,
- दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

दिया कि उन्होंने यह नहीं कहा कि 'हमें यूएसएसआर में शामिल हो जाना चाहिए और विलय कर लेना चाहिए या हमे उसका संविधान अपना लेना चाहिए, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि हमें अपने संविधान की तर्ज पर और सोवियत रूस की तर्ज पर काम करना चाहिए। यह एक विशेष पैटर्न है और गणतंत्रीय पैटर्न भी है।

गांधी और प्रस्तावना

शिब्बन लाल सक्सेना ने प्रस्ताव पेश किया कि प्रस्तावना को ऐसे पढ़ा जाना चाहिए: 'सर्वशक्तिमान भगवान के नाम पर, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के द्वारा राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाई और इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करने के लिए हमारे देश के लाखों लोगों और राष्ट्र के शहीदों को अपने वीर और अदम्य संघर्ष में संभाला।"

ब्रजेश्वर प्रसाद ने इसका विरोध करते हुए कहा, "मैं नहीं चाहता कि महात्मा गांधी का नाम इस संविधान में शामिल किया जाए, क्योंकि यह गांधीवादी संविधान नहीं है। इस संविधान की आधारशिला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रखी गई है। यह भारत सरकार अधिनियम, 1935 है, जिसे फिर से दोहराया गया। अगर हमारे पास गांधीवादी संविधान होता, तो मैं सबसे पहले अपना समर्थन देता। मैं नहीं चाहता कि महात्मा गांधी का नाम बीभत्स संविधान में डाला जाए। "

यह देखते हुए कि 'यह इस पर वोट करना उचित नहीं है', जे. बी. कृपलानी ने सक्सेना को इसे वापस लेने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, "गांधीजी के प्रति मेरा प्यार और सम्मान अत्यधिक है। मुझे लगता है कि यह सम्मान कायम रहेगा यदि हम इन्हें इस संविधान में नहीं शामिल करते हैं, क्योंकि इसे किसी भी समय बदला जा सकता है।" इसके बाद सक्सेना ने संशोधन वापस ले लिया।

'धर्मनिरपेक्ष' और 'संप्रभु'

ब्रजेश्वर प्रसाद ने महसूस किया कि 'धर्म निरपेक्ष' शब्द को 'हमारी प्रस्तावना में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि यह अल्पसंख्यकों के मनोबल को बढ़ाएगा' यह प्रस्तावना में शामिल 'समाजवादी' शब्द भी चाहते थे क्योंकि 'इनका मानना था कि समाजवाद भारत का भविष्य है।' वह 'शब्द संप्रभुता पर किसी भी प्रकार के अनुचित जोर' देने के खिलाफ थे क्योंकि उन्हें लगता था कि 'संप्रभुता युद्ध की ओर ले जाती है, संप्रभुता साम्राज्यवाद की ओर ले जाती है। हालाँकि, इनका संशोधन बेअसर साबित हुआ।

प्रस्तावना के चार घटक इस प्रकार हैं:

- यह इस बात की ओर इशारा करता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के साथ निहित है।
- यह इस बात की घोषणा करता है कि भारत एक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र है।
- यह सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देता है।
- इसमें उस तारीख (26 नवंबर 1949) का उल्लेख है जिस दिन संविधान को अपनाया गया था।

प्रस्तावना में संशोधन

- 1976 में, 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम (अभी तक केवल एक बार) द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था जिसमें तीन नए शब्द– समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। अदालत ने इस संशोधन को वैध ठहराया था।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या

- संविधान में प्रस्तावना को तब जोड़ा गया था जब बाकी संविधान पहले ही लागू हो गया था। बेरूबारी यूनियन के मामले में (1960) सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।
- हालाँकि, यह स्वीकार किया गया कि यदि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में एक शब्द अस्पष्ट है या उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं तो प्रस्तावना को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- केशवानंद भारती मामले (1973) में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया और यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत् संशोधित किया जा सकता है।
- एक बार फिर भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है।
- इस प्रकार स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना खूबसूरत शब्दों की भूमिका से बनी हुई है। इसमें बुनियादी आदर्श, उद्देश्य और दार्शनिक भारत के संविधान की अवधारणा शामिल है। ये संवैधानिक प्रावधानों के लिए तर्कसंगतता अथवा निष्पक्षता प्रदान करते हैं।

पूर्णिमा बनर्जी ने उल्लेखित 'लोगों की संप्रभुता' के साथ एक संशोधन का प्रस्ताव रखा। महावीर त्यागी ने उसका समर्थन किया।

प्रस्तावना यह दावा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है। सम्प्रुभता शब्द का अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णत: मुक्त संप्रुभता संपन्न राष्ट्र है। भारत की विधायिका को संविधान द्वारा तय की गई कुछ सीमाओं के विषय में देश में कानून बनाने का अधिकार है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. "भारतीय संविधान की प्रस्तावना" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य संकल्प पर आधारित है।
2. 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़े गए।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements in the context of the Preamble to the Constitution of Indian.

1. It is based on the objective resolution presented by Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly on 11 December 1946.
2. The terms Socialist and Secular were added by the 42nd Constitution Amendment 1976.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2

(c) Bothe 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

नोट : 28 दिसम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (a) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: 'भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वर्तमान स्वरूप विभिन्न परिचर्चाओं, संशोधनों के बाद सामने आया है, किन्तु इसका मूल सार पहले दिन से आज भी समान रहा है।' क्या आप इस कथन से सहमत हैं? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

The present form of the preamble of the Indian Constitution has come out after various discussions and amendments, but its basic essence has remained the same from day one. Do you agree with this statement? Discuss. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अत: इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।